



मिसिलसंख्या/ F. No. 26-06/2026-CIR-I (E-190901)

भारतसरकार/ Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/ Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/ Department of Agriculture & Farmers Welfare

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय/ Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage

एन.एच. 4, फरीदाबाद, हरियाणा/ N. H. IV., Faridabad (Haryana)

Website:- <http://ppqs.gov.in/>, E-mail:- cibsecy@nic.in

दिनांक: मई, 2026

सार्वजनिक सूचना

विषय: कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत ख़ाद्य सुरक्षा परीक्षण हेतु प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) के आयात के लिए अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण।

यह पंजीकरण समिति (आरसी) द्वारा 23.03.2026 को आयोजित अपनी 470वीं बैठक के एजेंडा मद संख्या 10.29 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के संदर्भ में है, जो नीचे दिया गया है:

“आरसी ने अपनी विभिन्न बैठकों में इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा की है और यह दोहराया है कि कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के सीआरएम के आयात/निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।”

तदनुसार, यह सार्वजनिक सूचना सभी हितधारकों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

यह सूचना सचिव, सीआईबी एवं आरसी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

सुमन
15/05/26
(सुमन जाखड़)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्रति: गार्ड फाइल